

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या- 81 / 2016-17

वाद का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- राजन शक्ति दास

पिता/प्रति- सकलदीप शक्ति दास

मौजा - अमौर

धाना नम्बर- 13

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 84

दाग नम्बर-

रकबा- 00-12-09 41
0.260 870

तिथि	आदेश
<u>19.10.16</u>	<p>मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रु दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हर्ता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूखु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हर्ता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रु दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रु दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रु दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत <u>राजन शक्ति दास</u> पिता/प्रति- <u>सकलदीप शक्ति दास</u> मौजा- <u>अमौर</u> को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक <u>28.10.16</u> को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p style="text-align: center;"><u>19.10.16</u></p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p> <div style="text-align: right;"> <p style="text-align: center;"><u>19.10.16</u></p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p> </div>

28.10.16

अभिलेख उपस्थापित / गोडदा में वेड्ड, कमिनेक
दिनांक 03.11.16 को उपस्थापित करें।
लेखापित ।

अंश
मेरल

अंचल अधिकारी
मेरल

17/06/21

अभिलेख उपस्थापित / वादी को पुनः धूल/निगले को । धास्य के साथ, पनाक. 25.06/2021 के लो।

अंश

23/01/23

अभिलेख उपस्थापित / यकाय प्रवणुस पर अपने दावा को संबंधित वीथ-असतम के साथ-वन्दोपस्थायक के उपस्थित होने से नोटिसा भिजान करी।

अभिलेख दिनांक 8/9/2023

को रखनी।

अनुमोदित
मेरल

8/9/23

अभिलेख अरुणाचल प्रदेश सरकार
 उपस्थित। उक्त डबल कागजात
 दाखिल किया गया है आलोकन
 किया। अतः उक्त डबल
 अनुसूचित पदा गौड़ा के ज्यमान्य
 के सेंटलमेन्ट-डिवा नं 19/9091
 में दिनांक-10/01/92 को
 पारित आदेश की हया-प्रति
 एवं आचनाधिकारी महेशना के
 पत्रांक 606 वा. दिनांक-19/10/90
 से सम्पित आच-प्रतिवेदन की हया-
 तथा जमान रसीद की हयाप्रति
 सम्पित किया गया है उपरोक्त
 में मीमा अग्रेषण थाना नं 13
 खाला सोन 84 चाना नं 60 में
 कुल रकम 0-12-9 धुर प्रतिकी
 बन्धीवस्ती की गवर्णी पानी-सी
 मिलान किया सही पत्र उक्त
 परिपेक्ष में वाक की अरिवाही वन्द
 की आती है

लेखक/पिता

२-
 आचनाधिकारी
 महेशना

२
 २.९.२३

आचनाधिकारी
 महेशना